सं0– 05/15–11–2010

प्रेषक

अनूप चंद्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

श्री बी0के0 दुबे
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग (11) दिनांक 18.01.2010

विषय– निजी संस्थाओं को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुमति दिया जाना।

महोदय,

1. निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के उपरान्त संबंधित संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय रिट याचिकायें यथा सं0 39124/2006 दाऊ दयाल महिला कालेज, फिरोजाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य एवं रिट याचिका संख्या 35780/2005 अभि ा सेवा संस्थान कालेज, कानपुर, बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 36691/2005 मॉ खंडवारी महाविद्यालय, चन्दौली, बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य एवं रिट याचिका सं0 21028/2005 हंडिया पोरट ग्रेजुएट कालेज, बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिकाओं को मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2007 के द्वारा स्वीकार कर लिया है।
2. माननीय उच्च न्यायालय में योजित उक्त रिट याचिकाओं तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.05.2007 के विरूद्ध उ0प्र0 शासन की ओर से स्पेशल अपील योजित की गयी, जिन्हे माननीय उच्च न्यायालय ने स्पेशल अपील सं0 1639 आफ 2007 उ0प्र0 राज्य व अन्य., बनाम दाऊ दयाल महिला पीजी0 कालेज एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध स्पेशल अपीलो को अपने आदेश दिनांक 31.07.2009 द्वारा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिए सैद्वान्तिक सहमति अपने आदेश दिनांक 26.11.2009 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
3. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका सं0 3081/07 में पारित आदेश दि0 17.12.09 के सापेक्ष में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है –

1. उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वे निजी एवं स्व–वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान/संस्थायें संबद्धता आवेदन हेतु पात्र होंगी, जो उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसायटियों और न्यास द्वारा स्थापित तथा संचालित हैं और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0/एन.टी.टी. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सीट के आवंटन सहित मान्यता निर्गत की गयी हो। इन संस्थाओं के द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। जिसका प्रारूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट **www.scertup.org** पर भी डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। इन संस्थाओं द्वारा प्रकिया शुल्क के रूप में शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तत्काल एक विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा ताकि पात्र निजी बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्धता हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जा सके। निर्धारित समय सीमा में निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तत्काल **www.scertup.org** वेबसाईट पर समुचित सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा इस वेबसाईट को समय–समय पर नियमित रूप से अद्यावधिक करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था को अध्यापक शिक्षा में बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ–साथ भूमि, भवन वित्तीय संसाधनों, आवास,

पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर–शिक्षण कार्मिको सहित अर्हता प्राप्त स्टाफ आदि से संबधित मानक भी शामिल होगें।

4. प्रत्येक शिक्षण कक्ष की माप कम से कम 500 वर्ग फुट होगी, पुस्तकालय एवं वाचनालय की माप कम से कम 1000 वर्ग फुट होगी, कम्प्यूटर सेटों (प्रिंटर एवं आधुनिक टेक्नोलाजी सहित) की संख्या कम से कम 10 होना वांछित होगी। खेल के मैदान हेतु न्यूनतम 200 वर्ग मीटर आयताकार स्थल वांछनीय होगा।

5. संस्थान के शिक्षण कक्षों में 100 छात्र/छात्राओं हेतु, पुस्तकालय में 50 छात्र/छात्राओं हेतु एवं 50 स्टाफ तथा कर्मचारियों हेतु उतनी ही संख्या में उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था वांछित होगी।

6. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप हो और इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी शासकीय अभियंता द्वारा भवन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी दिया गया हो। संस्थान द्वारा संस्थान परिसर में अग्निशमन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा एवं स्टाफ को अग्निशमन उपायों के प्रयोग हेतु दक्ष कराया जाएगा तथा इस आशय के प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त कर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। भवन की उपयुक्तता तथा अग्निशमन उपायों की उपयुक्तता हेतु निर्धारित अंतराल पर निदेशक एससीईटारटी द्वारा समुचित रूप से पुष्टि करना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सभी दृष्टियों से भरे हुए पूर्ण आवेदन पत्र तीन प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित जिस शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्धता मांगी जा रही है उससे पूर्व के शैक्षिक सत्र की निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

8. आवेदन पत्रों का स्वीकरण निर्धारित तिथि तक मुख्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन पत्रों का भली भांति परीक्षण करने के पश्चात पात्र एवं अर्ह संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी 04 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति द्वारा गठित नामित पैनल से कराया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति निम्नवत होगी –

1– प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी	–	अध्यक्ष
2– निदेशक, बेसिक शिक्षा	–	सदस्य
3– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	–	सदस्य
4– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी	–	सदस्य सचिव

10. यह पैनल, संस्था में उपलब्ध भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित मानदंडों एवं विनियमों के अनुपालन के संबंध में अपनी आख्या निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0 को प्रस्तुत करेगा। निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त सुविचारित प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जिन संस्थाओं में निरीक्षण के समय कोई कमी पायी गई हो, उन संस्थाओं को कमी दूर किए जाने हेतु निदेशक एससीईआरटी द्वारा ईमेल आदि से सूचना देने की कार्यवाही की जाएगी।

11. संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत कमियों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने के उपरांत निदेशक एससीईआरटी को समुचित रूप से अवगत कराया जाएगा। निदेशक एससीईआरटी द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करने के उपरांत पात्र और अपात्र संस्थाओं की सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराई जाएगी तथा अपात्रता का कारण भी समुचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा।

12. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समस्त आवेदक संस्थाओं को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपना अभिमत शासन को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेगी।

13. शासन, राज्य स्तरीय समिति का अभिमत प्राप्त होने पर, सम्बद्धता हेतु निर्णय लेगा।

14. शासन से निर्णय प्राप्त होने के पश्चात सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में यथा स्थिति आदेश निर्गत किया जायेगा।

15. जिस संस्था को निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण न करने के कारण सम्बद्धता प्रदान करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदन नही दिया गया होगा, उसकी मान्यता प्रत्याहरण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति कर दी जायेगी।

16. आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने या ऐसे तथ्यों को छिपाने जिनका निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा सम्बद्धता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग के खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा संस्थान की सम्बद्धता शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है। सम्बद्धता प्रत्याहरित किये जाने सम्बन्धी आदेश, संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से समुचित अवसर देने के पश्चात ही पारित किया जायेगा।

17. संस्थान को तत्काल अपनी वेबसाईट को क्रियाशील करना होगा। इस वेबसाइट में अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान, बी0टी0सी0 / एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश किए जाने वाले छात्रों की संख्या (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत), भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूमों जैसी भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं अथवा साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसी अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टाफ आदि के फोटोग्राफ सहित, ब्यौरे, अध्यापक प्रशिक्षकों की पैन संख्या दर्ज रहेगी।

18. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले समस्त शुल्क का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन दिनांक 18 जून 2002 के अनुक्रम में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

19. मान्यता हेतु आवेदन करने से संबंधित प्राप्त आवेदन शुल्क तथा संस्थाओं से प्राप्त प्रकिया शुल्क को निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा पृथक खाता खोलकर उसमें जमा किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित मदों में किया जा सकेगा।

20. संस्था में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस हेतु संस्था के लिए निर्धारित संख्या से होगी।

21. संस्था में प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रकिया के आधार पर ही होगा ।

22. संस्था का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम होगा।

23. प्रदेश के निजी संस्थाओं को दो वर्षीय बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संबद्धता की विवरणिकाएं क्रमशः संलग्नक–1 एवं संलग्नक–2 के अनुरूप होंगी। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगे।

24. निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त अभिलेखों एवं पत्राचार को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा इस आदेश की प्रतियां समस्त सम्बन्धित को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

(अनूप चंद्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ
6. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
8. समस्त प्राचार्य, डायट।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

आज्ञा से

(अतुल कुमार)
विशेष सचिव